



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15062021-227642
CG-MH-E-15062021-227642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 233]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 24 मई, 2021

सं. टीएमपी/10/2021—सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, पत्तन के भीतर खाली कंटेनर पार्किंग यार्ड में कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु चेन्ई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव के निपटान से संबंधित है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
सं. टीएमपी/10/2021—सीएचपीटी

चेन्ई पत्तन न्यास

—

आवेदक

कोरम

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मई, 2021 के 13वें दिन पारित)

यह मामला पत्तन के भीतर खाली कंटेनर पार्किंग यार्ड में कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. सीएचपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/30/2019-सीएचपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा सीएचपीटी के दरमान का सामान्य संशोधन अनुमोदित किया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यनिष्पादन मानकों के साथ संशोधित दरमान राजपत्र सं. 376 दिनांक 30 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात विषय प्रस्ताव पर स्पष्ट आदेश 4 दिसंबर 2019 को राजपत्र सं. 447 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

3.1. अब, सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 16 जनवरी 2021 द्वारा सीएचपीटी के भीतर खाली कंटेनर पार्किंग यार्ड में कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारों का प्रस्ताव किया था। सीएचपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में किए गए मुख्य निवेदन नीचे दिए गए हैं:-

- (i) सीएचपीटी में, कंटेनर दो लाइसेंसशुदा निजी टर्मिनल परिचालकों अर्थात् चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीपीएल) और चेन्नई इंटरनेशनल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईटीपीएल) द्वारा प्रहस्तित किए जा रहे हैं। चेन्नई पत्तन के माध्यम से कार्गो/कंटेनर यातायात में सुधार करने के लिए उपायों पर मंथन करने के लिए टर्मिनल परिचालकों और शिपिंग लाइन्स के साथ हुई चर्चा के दौरान, कई सुझावों में से एक पत्तन क्षेत्र के भीतर खाली कंटेनर यार्ड उपलब्ध करवाना था ताकि कंटेनरों को पत्तन से बाहर लाने और उनके पोतों से समयानुसार जोड़ने में विलंब से बचा जा सके।
- (ii) चेन्नई पत्तन के भीतर खाली कंटेनर यार्ड (ईसीवाई) परिचालित करने के लिए बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड ने बी.आर. सं. 128 दिनांक 29-03-2019 द्वारा निम्नलिखित अनुमोदित करने का संकल्प पारित किया था:-
 - (क) स्पेशल लिमिटेड टेंडर के माध्यम से यार्ड ऑपरेटर नियुक्त करते हुए खाली कंटेनर यार्ड शुरू करना,
 - (ख) टीएमपी के अनुमोदन के लंबित रहने तक पत्तन व्यय तथा परिचालक के प्रभारों को कवर करने के लिए प्राथमिक गणनाओं के आधार पर ग्राहकों से अस्थायी रूप से प्रभार वसूल करना, और
 - (ग) दरों की अधिसूचना के लिए टीएमपी को प्रस्ताव भेजना।
- (iii) तदनुसार, निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ संविदाकार की नियुक्ति करने के लिए स्पेशल लिमिटेड टेंडर (एसएलटी) निकाला गया था:
 - चेन्नई पत्तन न्यास के भीतर लगभग 4,000 वर्ग मी. क्षेत्र में बेसिक ट्रेनिंग सेंटर गोदाम के निकट दक्षिणी गेट सं. 10 में खाली कंटेनर यार्ड का परिचालन।
 - खाली कंटेनरों का लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ, परिवहन और सर्वेक्षण और
 - खाली कंटेनरों की मरम्मत
- (iv) निविदाकरण प्रक्रिया के बाद, शुरू में सेवाओं के शुरू होने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए ईसीवाई का परिचालन करने के लिए सफल बोलीदाता मै. सनमुगा ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. को रु. 612/- प्रति टीईयू की उद्धरित दर पर 6 माह की और अवधि के विस्तार के अधीन कार्य आदेश दिनांक 31-01-2020 जारी किया गया था। तत्पश्चात, यह करार आदेश दिनांक 7-8-2020 द्वारा 19-02-2021 तक विस्तारित किया गया था।
- (v) (क) टीएमपी वर्किंग दिशानिर्देश, 2018 के खंड 5.7.1. के अनुसार, जब कभी पत्तन विशेष के एसओआर में किसी सेवा/कार्गो के लिए विशिष्ट प्रशुल्क नहीं हो तो संबद्ध महापत्तन न्यास किसी अन्य महापत्तन न्यास में तुलनीय कार्गो उपस्कर/सेवा के लिए निर्धारित प्रशुल्क तथा कार्यनिष्पादन मानक, यदि कोई हों, अंगीकृत करते हुए उक्त नई कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना हेतु टीएमपी का रुख कर सकता है।
- (ख) यदि किसी अन्य महापत्तन न्यास में दर उपलब्ध नहीं हो अथवा यदि उपलब्ध दर प्रस्तावित नई कार्गो कार्गो/सेवा/सुविधा का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं हो तो पत्तन 2008 दिशानिर्देशों के सिद्धांतों अथवा दरित क्षमता के आधार पर अथवा सेवा/सुविधा/उपस्कर की तकनीकी विशेषता का अनुसरण करते हुए मूल्यांकित सर्वोत्तम क्षमता के संदर्भ में उक्त नए कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव दाखिल कर सकता है। यदि ऊपर निर्धारित विकल्पों के आधार पर प्रशुल्क का निर्धारण संभव नहीं हो तो पर्याप्त कारण देने के बाद महापत्तन न्यास लागत और 16 प्रतिशत प्रतिलाभ फार्मूला के आधार पर दरें प्रस्तावित कर सकता है।
- (ग) इस संबंध में, यह बताया गया है कि चूंकि खाली कंटेनर यार्ड एकमात्र सुविधा है, इसलिए सर्वोत्तम क्षमता, परिचालन लागत आदि का मूल्यांकन करने के लिए टर्मिनलों के मामले में अप्रॉफिट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 में निर्धारित मानदंड प्रासंगिक नहीं पाए गए हैं। इसलिए, बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित, ईसीवाई में खाली कंटेनर का प्रहस्तन करने के लिए उपयोक्ताओं से सीएचपीटी द्वारा संग्रहीत किए जाने वाले प्रभार संविदाकार को देय प्रभारों के आधार पर और पत्तन व्यय कवर करने के लिए निर्धारित किए गए थे।

प्रारंभिक अवस्था में, यह उम्मीद है कि लगभग 2500 टीईयू प्रति माह 4000 वर्ग मी. क्षेत्र में प्रहस्तित किया जा सकता है। अतः, प्रहस्तन प्रभार 2500 टीईयू प्रति माह की मात्रा पर विचार करते हुए परिगणित किया गया है जोकि रु. 837.76 प्रति टीईयू परिगणित होता है।

(vi) ईसीवाई में खाली कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारों की गणना दर्शाता परिकलन, जैसाकि नीचे दिया गया है, निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	विवरण	एक माह में 2500 कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए व्यय (रु.)	एक टीईयू के प्रहस्तन के लिए व्यय (रु. में)
क.	पत्तन व्यय:		
1.	एसओआर के अनुसार 4000 वर्ग मी. के ओपन स्पेस पेव्ड के लिए भूमि पट्टा प्रभार (रु. 13385 प्रति 100 वर्ग मी.)	535400	214.16
2.	रात्रि भारतोलन भत्ता (मूल वेतन – रु. 79000/- + डीए रु. 11850/- 180 *31)	15655	6.26
3.	अवकाश दिवस मजदूरी (मूल वेतन – रु. 79000/- + डीए रु. 11850/- + एचआरए रु. 23,700)	13365	5.34
	अवकाश दिवस मजदूरी प्रतिदिन – रु. 3,819/-		
	3 पालियों के लिए अवकाश दिवस मजदूरी = रु.11,457/-		
	01.01.2020 से 30.06.2020 तक अवकाश दिवसों की सं. – 7 दिन		
	7 दिनों के लिए कुल अवकाश दिवस मजदूरी = रु.80,199/-		
	अवकाश दिवस मजदूरी प्रति माह = रु. 13,366/-		
	कुल पत्तन व्यय		225.76
ख	संविदाकार को देय प्रभार		612.00
	उपयोक्ता से संग्रहीत किए जाने वाले कुल प्रभार प्रति टीईयू (क+ख)		837.76

ईसीवाई में प्रहस्तित किए जाने वाले कंटेनरों की सं. के लिए गणनाएं	
एक कंटेनर द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्र (6.09 मी. x 2.44 मी.)	14.86 वर्ग मी.
कंटेनरों की सं. जो 4000 वर्ग मी. में भंडारित किया जा सकता है	269 टीईयू
कंटेनरों की सं. जो भंडारित किए जा सकते हैं, क्रेनों, वाहनों के आवागमन के लिए स्थान पर विचार करने के बाद	160 टीईयू
औसत विराम समय	6 दिन
एक माह में वापिसी समय	5
स्टॉक ऊंचाई	3
कंटेनर जो एक माह में प्रहस्तित किए जा सकते हैं	2500 टीईयू

(vii) इसके अलावा, 30 दिनों की निःशुल्क अवधि और रु. 50/- प्रति टीईयू प्रतिदिन और वास्तविक मरम्मत प्रभार खाली कंटेनर यार्ड में वसूल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(viii) प्रभार अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए गए थे और ट्रेड नोटिस दिनांक 15-2-2020 जारी किया गया था। तत्पश्चात, बोर्ड ने बी.आर. सं. 12 दिनांक 25-6-2020 खाली कंटेनर यार्ड में खाली कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए उपर्युक्त प्रभारों की अभिपुष्टि की थी और अनुमोदन के लिए टीएएमपी को प्रस्ताव भी भेजा था।

- (ix). टीएमपी वर्किंग दिशानिर्देश 2018 के खंड 5.7.4 के अनुसार, परिचालित की जाने वाली तदर्थ दर और अंतरिम अवधि में लागू किए जाने वाले कार्यनिष्पादन मानक वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 5.7.1 में दिए गए दृष्टिकोण पर आधारित होने चाहिए और यह संबद्ध उपयोक्ताओं के साथ परामर्श से ही होना चाहिए। तदनुसार, उपयोक्ता मै. इंटरएशिया शिपिंग लाइन्स इंडिया प्रा. लि. से प्राप्त सहमति पत्र दिनांक 5-11-2020 भेजा गया है।

3.2. सीएचपीटी ने बोर्ड अनुमोदन एवं इसके द्वारा जारी ट्रेड नोटिस उपलब्ध करवाया था।

3.3. उपर्युक्त के मद्देनजर, सीएचपीटी ने खण्ड 3 – कार्गो संबंधित प्रभार के अधीन नई अनुसूची 3.6 के रूप में ईसीवाई में खाली कंटेनर का प्रहस्तन करने के लिए प्रभारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया था। एसओआर का प्रासंगिक भाग निम्नवत् है:-

“3.6 खाली कंटेनर यार्ड में खाली कंटेनरों का प्रहस्तन करने के लिए प्रभार

3.6.1 प्रहस्तन प्रभार

क्र.सं.	कंटेनरों का विवरण	इकाई	प्रभार (रु. में)
1.	20 फीट तक की लंबाई के खाली कंटेनर	प्रत्येक	837.76
2.	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लंबाई के खाली कंटेनर	प्रत्येक	1256.64
3.	40 फीट से अधिक की लंबाई के खाली कंटेनर	प्रत्येक	1675.52

टिप्पणियाँ:

- उपर्युक्त प्रभार लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ, परिवहन और खाली कंटेनरों के सर्वेक्षण के लिए है।
- खाली कंटेनरों के लिए मरम्मत लाइनों की अपेक्षा के अनुसार होगी और वास्तविक आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

3.6.2 भंडारण प्रभार (दर प्रतिदिन अथवा उसका भाग)

विवरण	20' तक लंबाई के कंटेनर (रु.)	20' से अधिक लेकिन 40' तक लंबाई के कंटेनर (रु.)	40' से अधिक लंबाई के कंटेनर (रु.)
प्रथम 30 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
31वें दिन से 45वें दिन तक	50	100	150
46वें दिन से 60वें दिन तक	100	200	300
60 दिनों के बाद	200	400	600

4. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीएचपीटी प्रस्ताव की प्रति पत्र दिनांक 21 जनवरी 2021 द्वारा संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया था। उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों में से किसी ने भी इस मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक अपनी टिप्पणियां नहीं भेजी थीं।

5.1. सीएचपीटी के प्रस्ताव की प्रारंभिक संवीक्षा पर, यह देखा गया था कि सीएचपीटी से कुछ सूचना/स्पष्टीकरण अपेक्षित हैं। तदनुसार, पत्र दिनांक 17 फरवरी 2021 द्वारा सीएचपीटी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके बाद एक अनुस्मारक दिनांक 24 मार्च 2021 भेजा गया था। सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2021 द्वारा प्रतिसाद दिया था। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और उसपर सीएचपीटी का प्रतिसाद नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	सीएचपीटी का प्रतिसाद
(i)	पत्तन के भीतर खाली कंटेनर पार्किंग यार्ड में कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव बोर्ड द्वारा इसके संकल्प दिनांक 29-3-2019 द्वारा अनुमोदित किया गया था और संविदाकार जनवरी 2020 में नियुक्त किया गया था और पत्तन ने फरवरी 2020 में ट्रेड नोटिस जारी किया था। इस संबंध में, सीएचपीटी दरों के अनुमोदन के लिए टीएमपी को प्रस्ताव जनवरी 2021 में ही जमा किए जाने का कारण स्पष्ट करे।	सीएचपीटी परिसर के भीतर खाली कंटेनर यार्ड शुरू करने का प्रस्ताव एक नई संकल्पना थी जो पत्तन उपयोक्ताओं/टर्मिनलों के साथ विचार-मंथन सत्रों के दौरान सामने आया था। इसलिए, बी.आर. दिनांक 29-3-2020 में यथा प्रतिवेदित, यह शुरू में 6 महीने के लिए प्रायोगिक आधार पर ईसीवाई शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। बी.आर. दिनांक 29-03-2019 के अनुसरण में, 04-06-2019 को स्पेशल लिमिटेड टेंडर (एसएलटी) जारी किया गया था। उक्त एसएलटी डिस्चार्ज किया गया था क्योंकि एल1 बोलीदाता द्वारा जमा की गई दर बहुत अधिक थी। तत्पश्चात, 04-11-2019 को एसएलटी दोबारा आमंत्रित किया गया था और शुरू में 20-2-2020 से 19-8-2020 तक छह माह की अवधि के लिए 4000 वर्ग मी. क्षेत्र में खाली कंटेनर यार्ड का परिचालन करने के लिए निम्नतम बोलीदाता मै. सनमुगा ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. को कार्य आदेश जारी किया गया था। ट्रेड नोटिस 15-02-2020 को जारी किया गया था। उसके बाद, भंडारण प्रभार संशोधित किए गए थे और 04-06-2020

		को ट्रेड नोटिस जारी किया गया था। बोर्ड ने बीआर सं. 12 दिनांक 25-06-2020 द्वारा प्रभारों की अभिपुष्टि की थी। टीएएमपी वर्किंग दिशानिर्देश 2018 के खंड 5.7.4 के अनुसार, उपयोक्ताओं से सहमति पत्र प्राप्त किया जाना है। कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण, किसी भी उपयोक्ता ने खाली कंटेनर यार्ड प्रयोग नहीं किया था और फलस्वरूप उपयोक्ता की सहमति प्राप्त नहीं की जा सकी थी। करार 20-08-2020 से 19-02-2021 तक छह माह की अवधि के लिए और विस्तारित किया गया था और एक उपयोक्ता मै. इंटरएशिया शिपिंग लाइन्स प्रा. लि. से सहमति पत्र 05-11-2020 को ही प्राप्त हुआ था और उसके बाद प्रस्ताव टीएएमपी को भेजा गया था।
(ii)	ईसीवाई में खाली कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रस्तावित प्रभारों के समर्थन में सीएचपीटी द्वारा संलग्न किए गए वर्किंग विवरण के संबंध में, सीएचपीटी निम्नलिखित स्पष्ट करें:-	
(क)	खुले स्थान के लिए भूमि पट्टा प्रभार जनवरी 2020 तक सुविचारित किए गए हैं। भूमि पट्टा प्रभार जनवरी 2021 तक अद्यतन किए जाने की अपेक्षा करता है।	यह बताया गया है कि जनवरी 2021 और फरवरी 2021 के दौरान खाली कंटेनर यार्ड में कोई खाली कंटेनर प्रहस्तित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, करार 19-2-2021 को समाप्त हो चुका है। इसलिए, भूमि पट्टा प्रभारों का अद्यतन जरूरी नहीं होगा।
(ख)	(i) रात्रि भारतोलन भत्ता और अवकाश दिवस भत्ता जनवरी 2020 तक सुविचारित किया गया है। यह जनवरी 2021 तक अद्यतन किए जाने की जरूरत है। (ii) अद्यतन किए गए रात्रि भारतोलन भत्ते और अवकाश दिवस भत्ते के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए जाएं। (iii) यह देखा गया है कि अवकाश दिवस मजदूरी की गणना में सुविचारित दिवसों की संख्या 30 दिन है जबकि रात्रि भारतोलन भत्ते में, दिनों की संख्या 31 दिन मानी गई है। अंतर क लिए कारण स्पष्ट करें।	उपर्युक्त पैरा 2 (ii)(क) के उत्तर में, रात्रि भारतोलन भत्ते का अद्यतन जरूरी नहीं हो सकता। 01-01-2020 से 30-06-2020 अवधि के दौरान, आउटडोर ऑपरेशनल स्टाफ सात बोर्ड अवकाश दिवसों के लिए पात्र थे और इसलिए औसत 30 दिन अवकाश दिवस मजदूरी के लिए सुविचारित किए गए हैं। तथापि, चूंकि रात्रि भारतोलन भत्ता की गणना जनवरी 2020 पर आधारित थी, 31 दिनों पर विचार किया गया है।
(ग)	सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव में दर्शाया है कि इसने खाली कंटेनर यार्ड का परिचालन करने के लिए संविदाकार नियुक्त किया था और कि संविदाकार ने रु. 612/- प्रति टीईयू की दर उद्धरित की थी। यह करार अब तक 19 फरवरी 2021 तक वैध बताया गया है। इस संबंध में, सीएचपीटी निम्नलिखित स्पष्ट/पेश करें:-	
	(i) करार की एक प्रति अभिलेखों के लिए हमें उपलब्ध करवाई जाए। (ii) दिया गया है कि करार केवल 19 फरवरी 2021 तक वैध है, मौजूदा करार के अनुसार रु. 612/- प्रति टीईयू की दर पर विचार करने की प्रासंगिकता स्पष्ट करें। (iii) रु. 612/- प्रति टीईयू की दर सीएचपीटी द्वारा नए संविदाकार द्वारा किए जाने वाले नए/नवीकृत करार के आधार पर अद्यतन किए जाने की अपेक्षा करता है।	[सीएचपीटी ने मै. सनमुगा ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. को जारी किए गए कार्य आदेश दिनांक 31-01-2020 और विस्तार आदेश दिनांक 07-08-2020 की एक-एक प्रति क्रमशः अनुबंध-(क) एवं (ख) भेजी थी।] बोर्ड द्वारा बी.आर. दिनांक 29-03-2019 द्वारा यथा अनुमोदित, ईसीवाई में कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभार प्रायोगिक आधार पर यार्ड के परिचालन के लिए बोलीदाता द्वारा उद्धरित प्रभार (रु. 612/- प्रति टीईयू) और पत्तन व्यय (रु. 225.76 प्रति टीईयू) द्वारा उद्धरित प्रभारों पर विचार करते हुए निर्धारित किए गए थे। यह करार उसी दर पर 19-02-2021 तक छह माह की और अवधि के लिए विस्तारित किया गया था। चूंकि यह करार 19-02-2021 से आगे विस्तारित नहीं किया गया था, इसलिए दर का अद्यतन जरूरी नहीं हो सकता। टीएएमपी से अनुरोध है कि 20-02-2020 से 19-02-2021 तक की अवधि के लिए केवल प्रस्तावित दरों को नियमित किया जाए।
(घ)	खाली कंटेनर यार्ड के लिए अभिविहित 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में से, सीएचपीटी ने क्रेनों तथा वाहनों के आवागमन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कुल क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिशत पर विचार करने के बाद केवल 160 कंटेनरों के भंडारण पर विचार किया था। क्रेनों और वाहनों के आवागमन के लिए लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र पर विचार करने के लिए आधार स्पष्ट करें।	जैसाकि पहले बताया गया है, टर्मिनल परिचालक और शिपिंग लाइनों के साथ बैठकों के दौरान प्रकट संकल्पना के आधार पर, 6 महीनों के लिए प्रायोगिक आधार पर खाली कंटेनर यार्ड शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था। इसलिए, 2500 टीईयू प्रति माह की मात्रा क्रेनों, वाहनों आदि के आवागमन के लिए अपेक्षित प्रत्येक कंटेनर, स्थान के लिए अपेक्षित स्थान के आधार पर 6 दिनों का विराम समय और 3 की स्टेक ऊंचाई निर्धारित करें।
(ङ)	6 दिनों के औसत विराम समय पर विचार करने का आधार स्पष्ट करें।	

(च)	3 की स्टेक ऊंचाई पर विचार करने का आधार स्पष्ट करें।	किया गया था। 2500 टीईयू की मात्रा की गणना के लिए वर्किंग प्रस्ताव के अनुबंध-II रूप में पेश किया गया है।
(छ)	वह अवधि भी दर्शाएँ जिसके लिए सीएचपीटी द्वारा इस विषय प्रस्ताव के लिए अनुमोदन की मांग की गई है।	टीएएमपी से अनुरोध है कि 20-02-2020 से 19-02-2021 तक की अवधि के लिए ही ईसीवाई के परिचालन के लिए प्रस्तावित प्रभारों को नियमित किया जाए।
(iii)	सीएचपीटी का प्रस्ताव खाली कंटेनर यार्ड में कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभार निर्धारित करने के लिए है। इस परिप्रेक्ष्य में, सीएचपीटी निम्नलिखित स्पष्ट/पेश करें:-	
(क)	खाली कंटेनर यार्ड में कंटेनरों के भंडारण के लिए प्रभार प्रस्तावित करने का कारण।	यह सुविधा चेन्नई पत्तन में खाली कंटेनर यार्ड का परिचालन करने की एक नई सुविधा है और भंडारण स्थान के रूप में यार्ड का प्रयोग करने के लिए उपयोक्ताओं की प्रत्येक संभावना है। इसलिए, यह भंडारण प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव किया गया था।
(ख)	प्रस्तावित भंडारण प्रभारों के समर्थन में आधार और गणनाएं।	ट्रेड को आकर्षित करने के लिए, 30 दिनों का निःशुल्क समय स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया था और न्यूनतम 30 दिनों के बाद रु. 50/- प्रति 20' कंटेनर प्रतिदिन प्रस्तावित किया गया था। 40' और 40' से अधिक के लिए भंडारण प्रभार टीएएमपी वर्किंग दिशानिर्देश, 2018 के खंड 9.5 में यथा निर्धारित 1.5 गुना और 2 गुना का अनुपात अंगीकृत करते हुए गणना किए गए हैं।

5.2. उक्त पत्र दिनांक 13 अप्रैल 2021 द्वारा, सीएचपीटी ने यह निवेदन भी किया था कि खाली कंटेनर यार्ड के परिचालन के लिए करार 19-2-2021 को समाप्त हो चुका है। इसलिए, पत्तन ने 20-2-2020 से 19-2-2021 तक की अवधि के लिए खाली कंटेनर यार्ड के परिचालन के लिए प्रभारों के अनुमोदन/नियमितिकरण की मांग की थी। पत्तन ने बताया है कि एक बार यार्ड परिचालन दोबारा शुरू होने पर सीएचपीटी द्वारा टीएएमपी को अनुमोदन के लिए अलग से प्रस्ताव भेजा जाएगा।

6. कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर और वर्चुअल बैठकें आयोजित करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) पत्र सं. 11053/30/2020-समन्वय दिनांक 16 अप्रैल 2020 के अनुसरण में, संदर्भित मामले में 18 फरवरी 2021 को वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, सीएचपीटी और उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों ने अपने निवेदन रखे थे।

7. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार उन्हें अलग से भेजा जाएगा। ये व्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

(i) पत्तन क्षेत्र के भीतर खाली कंटेनर यार्ड (ईसीवाई) उपलब्ध करवाने के लिए ट्रेड द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, ताकि पत्तन के बाहर से कंटेनरों को लाने में विलंब से बचा जा सके और उनके पोतों से समयानुसार जुड़ा जा सके, चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) ने पत्तन के भीतर लगभग 4,000 वर्ग मी. के ईसीवाई की पहचान की थी। इस संदर्भ में, सीएचपीटी ने कंटेनर प्रहस्तन सेवाएं अर्थात् लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ, परिवहन तथा खाली कंटेनरों का सर्वेक्षण तथा खाली कंटेनरों की मरम्मत उपलब्ध करवाने के लिए 20 फरवरी 2020 से यार्ड परिचालक (स्पेशल लिमिटेड टेंडर के माध्यम से) नियुक्त किया था। कार्य आदेश जोकि शुरू में 6 महीनों की अवधि के लिए था, उसके बाद 19 फरवरी 2021 तक और 6 माह की अवधि के लिए विस्तारित किया गया था। इस प्रकार, पत्तन का प्रस्ताव 20 फरवरी 2020 से 19 फरवरी 2021 तक की अवधि के दौरान ईसीवाई में प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन द्वारा वसूल की गई दरों को नियमित करने के लिए है।

(ii) प्रशुल्क नीति, 2018 के खंड 8.2 के साथ पठित महापत्तनों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु कार्य दिशानिर्देश, 2018 (वर्किंग दिशानिर्देश 2015) का खंड 5.7.1 विनिर्दिष्ट करता है कि, जब कभी पत्तन विशेष के एसओआर में किसी सेवा/कार्गो के लिए विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध नहीं हो तो संबद्ध महापत्तन न्यास किसी अन्य महापत्तन न्यास में तुलनीय कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए निर्धारित प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानक, यदि कोई हो, को अंगीकृत करते हुए उक्त नए कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना के लिए टीएएमपी का रुख कर सकता है। यदि किसी अन्य महापत्तन न्यास में दर उपलब्ध नहीं हो अथवा यदि उपलब्ध दर प्रस्तावित नए कार्गो/सेवा/सुविधा का पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं हो तो पत्तन 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अथवा दरित क्षमता अथवा सेवा/सुविधा/उपस्कर की तकनीकी विशिष्टता के आधार पर मूल्यांकित सर्वोत्तम क्षमता के संदर्भ में उक्त नए कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव दाखिल कर सकता है। यदि ऊपर निर्धारित विकल्पों के आधार पर प्रशुल्क का निर्धारण करना संभव नहीं हो तो महापत्तन न्यास पर्याप्त कारण देने के बाद लागत जमा 16 प्रतिशत फार्मूला के आधार पर दरें प्रस्तावित कर सकता है। चूंकि सीएचपीटी में ईसीवाई एकमात्र सुविधा है और सर्वोत्तम क्षमता, परिचालन व्यय आदि का मूल्यांकन करने के लिए 2008 दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड प्रासंगिक नहीं हैं, सीएचपीटी ने संविदाकार को देय प्रभारों के आधार पर और पत्तन व्ययों को कवर करने के लिए प्रशुल्क निर्धारित किया है। सीएचपीटी का यह प्रस्ताव इसके न्यासी बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त है।

- (iii) सीएचपीटी ने ईसीवाई में रु. 612/- प्रति 20' कंटेनर की दर से लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ, परिवहन तथा खाली कंटेनरों का सर्वेक्षण करने के लिए और ईसीवाई के लिए आबंटित भूमि (सीएचपीटी के एसओआर के अनुसार) से संबंधित लागतों की वसूली करने के लिए तथा पत्तन द्वारा विभिन्न प्रकार की मैनपावर के लिए प्रोद्भूत व्यय कुल रु. 225.76 प्रति 20' कंटेनर के लिए सीएचपीटी द्वारा नियुक्त संविदाकार को देय प्रभारों को लेखा में लेते हुए 20 फीट तक रु. 837.76/- प्रति खाली कंटेनर की प्रहस्तन दर प्रस्तावित की थी। प्रस्तावित दर पर पहुंचने के लिए सीएचपीटी द्वारा सुविचारित प्रत्येक लागत घटक की अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।
- (iv) **सुविधा की क्षमता:**
- सीएचपीटी में ईसीवाई 4,000 वर्ग मी. क्षेत्र का बताया गया है। दिया गया है कि चौबीस फीट कंटेनर 14.86 वर्ग मी. क्षेत्र (6.09 मी. X 2.44 मी.) अधिग्रहीत करता है और कंटेनरों की स्टेकिंग के लिए यथा उपलब्ध स्थान के 60 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए तथा क्षेत्र का शेष 40 प्रतिशत क्रैनों तथा वाहनों के आवागमन के लिए अपेक्षित है, कंटेनरों की संख्या जो खाली कंटेनर यार्ड में हो सकते हैं सीएचपीटी द्वारा निर्धारित किया गया है और इससे आगे 3 स्टेकिंग कारक पर विचार करते हुए, सीएचपीटी सुविधा की क्षमता 485 टीईयू (4000 वर्ग मी. x 60% ÷ 14.86 वर्ग मी. x 3 स्टेक ऊँचाई = 484.52 अर्थात् 485 टीईयू) पर पहुंचा है। उसके बाद, एक माह में 30 दिन और 6 दिनों के औसत विराम समय पर विचार करते हुए, प्रत्येक कंटेनर का वापिसी समय 5 फेरे (30 दिन / 6 दिन = 5 फेरे) परिगणित किया गया है। इस प्रकार, सीएचपीटी ने निर्धारित किया है कि लगभग 2500 टीईयू (485 टीईयू x 5 फेरे = 2425 टीईयू अथवा अर्थात् 2500 टीईयू) एक माह में खाली कंटेनर यार्ड में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसे ईसीवाई प्रति माह की क्षमता सुविचारित की गई है। इस संबंध में पत्तन के निर्णय पर विश्वास किया गया है।
- (v) **परिचालन लागत:**
- (क) सीएचपीटी ने 4000 वर्ग मी. (4000 वर्ग मी. x रु. 13385 प्रति 100 वर्ग मी. प्रति माह / 100 = रु. 535400 प्रति माह) के कुल क्षेत्र के लिए प्रचलित अनुमोदित संपदा एसओआर के अनुसार रु. 13,385 प्रति 100 वर्ग मी. प्रति माह के पट्टा प्रभारों पर विचार करते हुए भूमि पट्टा प्रभारों के लिए रु. 5.35 लाख प्रति माह की राशि पर विचार किया है।
- (ख) रात्रि भारतोलन भत्ता रु. 0.16 लाख प्रति माह अनुमानित किया गया है। सीएचपीटी ने बताया है कि रात्रि भारतोलन भत्ता वर्किंग की मौजूदा पद्धति के अनुसार ईसीवाई में एक "सहायक अधीक्षक" की तैनाती पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इस संबंध में पत्तन के न्यायनिर्णय पर विश्वास किया गया है।
- (ग) अवकाश मजदूरी एक दिन में 3 पालियों के लिए औसत मासिक परिलब्धियों अर्थात् मूल वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता को लेखा में लेते हुए और जनवरी 2020 से जून 2020 तक की अवधि के दौरान प्रोद्भूत अवकाश दिवसों की संख्या को लेखा में लेते हुए ईसीवाई में एक "सहायक अधीक्षक" की तैनाती पर विचार करते हुए लेखा में लिया गया है। तदनुसार, अवकाश दिवस मजदूरी रु. 0.14 लाख प्रति माह निर्धारित किया गया है। इस संबंध में पत्तन के न्यायनिर्णय पर विश्वास किया गया है।
- (घ) तदनुसार, कुल पत्तन व्यय रु. 5.64 लाख प्रति माह की दर से सीएचपीटी द्वारा निर्धारित किया गया है। 2500 टीईयू प्रति माह की अनुमानित क्षमता के लिए रु. 225.76 प्रति टीईयू की दर से परिगणित होता है।
- (ङ) उपर्युक्त व्ययों के अलावा, पत्तन ने परिचालक को देय रु. 612 प्रति टीईयू की दर से प्रभारों पर विचार किया था।
- (vi) पत्तन द्वारा संविदाकार को देय रु. 612/- प्रति 20' कंटेनर की दर एक बाजार निर्धारित दर है। रु. 225.76 प्रति 20' कंटेनर के पत्तन व्ययों के संबंध में, जिसे प्रस्तावित दर में पत्तन द्वारा लिया गया है, सीएचपीटी ने प्रस्तावित दर के समर्थन में विस्तृत गणना पेश की है।
- उपर्युक्त के मद्देनजर और दिया गया है कि किसी भी उपयोक्ता ने ईसीवाई में प्रभारों की वसूली पर आपत्ति नहीं उठाई थी और न्यासी बोर्ड के अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए, 20 फरवरी 2020 से 19 फरवरी 2021 तक की अवधि के दौरान ईसीवाई में प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन द्वारा यथा वसूल की गई रु. 837.76 प्रति 20' कंटेनर की दर को नियमित करने के लिए पत्तन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
- (vii) इसके अलावा, पत्तन ने 40' कंटेनर के लिए सामान्य कंटेनर की दर के 1.5 गुना की दर से रु. 1256.64 (रु. 837.76 x 1.5 गुना) के लिए प्रहस्तन प्रभारों का प्रस्ताव किया है और 40' से अधिक के कंटेनर के लिए पत्तन द्वारा सामान्य कंटेनर की दर के 2 गुना रु. 1675.52 (रु. 837.76 x 2 गुना) निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित प्रहस्तन प्रभार महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क के निर्धारण हेतु महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति, 2018 को परिचालित करने के लिए वर्किंग दिशानिर्देशों के खण्ड 9.5 के अनुसार देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, यह प्राधिकरण 40' कंटेनर और 40' से अधिक के कंटेनर के लिए पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित प्रहस्तन प्रभार अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।
- (viii) इसके अलावा, इस आधार पर कि ईसीवाई एक नई सुविधा होने के कारण, यार्ड की प्रत्येक संभाव्यता भंडारण स्थान के रूप में प्रयुक्त की जा रही है, पत्तन ने 30 दिनों की निःशुल्क अवधि के बाद रु. 50/- प्रति टीईयू प्रति दिन के भंडारण प्रभार का प्रस्ताव किया है। स्लैब वार भंडारण प्रभार उपयोक्ताओं से पत्तन द्वारा वसूल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

प्रशुल्क नीति, 2018 को कार्यान्वित करने के लिए जारी किए गए वर्किंग दिशानिर्देशों के खण्ड 8.6 के अनुसार, निःशुल्क दिनों की संख्या निर्धारित करने के लिए अलग-अलग पत्तनों को स्वतंत्रता है। इसलिए, 30 दिनों की निःशुल्क अवधि की संख्या अनुमोदित की गई है।

सीएचपीटी ने प्रस्तावित भंडारण प्रभारों पर पहुंचने के लिए कोई आधार/गणना नहीं भेजी थी। किन्तु, चूंकि प्रस्तावित भंडारण प्रभारों पर उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों में से किसी ने भी आपत्तियां नहीं उठाई थीं और बाजार की शक्तियों के आधार पर दरों का निर्धारण करने के लिए पत्तन को उपलब्ध लचीलापन के मद्देनजर और पत्तन का वाणिज्यिक निर्णय तथा यह भी विचार करते हुए कि सीएचपीटी बोर्ड ने प्रस्तावित भंडारण प्रभार अनुमोदित किया था, यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित भंडारण प्रभार अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है।

40' और 40' से अधिक के कंटेनरों के लिए भंडारण प्रभार क्रमशः 2 गुना और 3 गुना के अनुपात को अंगीकृत करते हुए परिगणित किया गया है, जैसाकि टीएएमपी वर्किंग दिशानिर्देश, 2018 के खण्ड 9.5 में निर्धारित किया गया है।

- (ix) सीएचपीटी ने इस आशय की टिप्पणी का प्रस्ताव किया है कि निर्धारित प्रहस्तन प्रभार लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ, परिवहन तथा खाली कंटेनरों के सर्वेक्षण के लिए है। चूंकि प्रस्तावित टिप्पणी प्रहस्तन प्रभारों के अधीन शामिल सेवाओं के कार्यक्षेत्र पर स्पष्टता देता है और ईसीवाई के परिचालन को दिए गए कार्य के परिदृश्य के अनुसार देखा जाना चाहिए, जैसाकि सीएचपीटी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, प्रस्तावित टिप्पणी अनुमोदित की गई है।
- (x) सीएचपीटी ने इस आशय की टिप्पणी भी प्रस्तावित की थी कि खाली कंटेनरों की मरम्मत लाइनों की अपेक्षा के अनुसार होगी और वास्तविक आधार पर प्रभारित किया जाएगा। चूंकि प्रस्तावित टिप्पणी स्पष्टता देती है और विसंगति से बचाती है, इसलिए प्रस्तावित टिप्पणी अनुमोदित की गई है।
- (xi) सीएचपीटी ने ईसीवाई के परिचालन से सृजित अतिरिक्त राजस्व को परिमाणित नहीं किया था। सीएचपीटी द्वारा दिए गए लागत विवरणों से, यह देखा गया है कि पत्तन द्वारा प्रस्तावित दरें पत्तन द्वारा प्रोद्भूत व्ययों को रिकवर करने और परिचालन को देय प्रभारों के लिए पत्तन को सामान्यतः समर्थ बनाता है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह अनुमान लगाना अनुचित नहीं होगा कि अतिरिक्त राजस्व की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण राशि नहीं है जो पत्तन द्वारा ईसीवाई के परिचालन की अवधि के दौरान सृजित किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2019 में सीएचपीटी के प्रशुल्क के पिछले सामान्य संशोधन के दौरान, रु. 30.32 करोड़ का राजस्व अंतर था, जिसे पत्तन द्वारा अनाच्छादित छोड़ दिया गया है। इस प्रकार, यहां तक कि यदि ईसीवाई में अनुमोदित दरों की वसूली से होने वाली कंटेनरों की इस तेज वापसी समय के कारण अतिरिक्त राजस्व को राजस्व अन्तर में सम्मिलित किया जाएगा।
- (xii) पत्तन द्वारा किन्हीं प्रभारों की वसूली जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 द्वारा आच्छादित हैं, इस प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करता है। सीएचपीटी द्वारा किए गए निवेदनों से, यह देखा गया है कि सीएचपीटी ने 16 जनवरी 2021 को अपना प्रस्ताव दाखिल करने से बहुत पहले 20 फरवरी 2020 से ईसीवाई की सेवाएं शुरू की थीं। करार 19 फरवरी 2021 तक समाप्त होने की बात बताई गई थी। इस प्रकार, सीएचपीटी ने 20 जनवरी 2020 से 19 फरवरी 2021 तक अपने दरमान में दरों को शामिल किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित करने की मांग की थी, इस प्रकार से इस प्राधिकरण के समक्ष निष्पन्न कार्य स्थिति प्रस्तुत की जा रही है। किसी पत्तन से यह उम्मीद करना अनुचित नहीं है कि इस प्राधिकरण के समक्ष निष्पन्न कार्य प्रस्तुत किए जाने के बजाय कोई नई दरें शामिल करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करे। यह उल्लेखनीय है कि वर्किंग दिशानिर्देश नई सुविधा अथवा नई सेवा और तदर्थ रूप में प्रस्तावित दरों की वसूली के उपयोग के लिए दर की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव दाखिल करने के लिए है।
- (xiii) इस प्राधिकरण के आदेश सामान्यतः राजपत्र की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद भावी प्रभाव से लागू होते हैं जब तक कि तत्संबंधी प्रशुल्क आदेशों में अन्यथा भिन्न व्यवस्था विशेष रूप से उल्लिखित नहीं की जाती है। आपवादिक मामलों में, पूर्वव्यापी प्रभाव प्रतिवेदित किए जाने वाले कारणों से दिया जाता है। संदर्भित मामले में, पत्तन का प्रस्ताव 20 फरवरी 2020 से 19 फरवरी 2021 तक की अवधि के दौरान ईसीवाई में प्रदत्त सेवाओं के लिए पत्तन द्वारा वसूल की गई दरों को नियमित करने के लिए है। पूर्व अनुच्छेदों में यथा बताये गए कारणों से, यह प्राधिकरण 20 फरवरी 2020 से 19 फरवरी 2021 तक की अवधि के दौरान प्रस्तावित प्रभारों की वसूली के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रवृत्त है।

9. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, 20 फरवरी 2020 से 19 फरवरी 2021 तक की अवधि के दौरान ईसीवाई में सीएचपीटी द्वारा निम्नलिखित प्रभारों की वसूली के लिए अनुमोदन प्रदान करता है:

“3.6 खाली कंटेनर यार्ड में खाली कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभार

3.6.1 प्रहस्तन प्रभार

क्र.सं.	कंटेनर का विवरण	इकाई	प्रभार (रु. में)
1.	20 फीट तक की लंबाई के खाली कंटेनर	प्रत्येक	837.76
2.	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लंबाई के खाली कंटेनर	प्रत्येक	1256.64
3.	40 फीट से अधिक की लंबाई के खाली कंटेनर	प्रत्येक	1675.52

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रभार लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ, परिवहन तथा खाली कंटेनरों के सर्वेक्षण के लिए है।
2. खाली कंटेनरों की मरम्मत लाइनों की अपेक्षा के अनुसार होगी और वास्तविक आधार पर प्रभारित किया जाएगा।
3. अनुसूची 3.6 20 फरवरी 2020 से 19 फरवरी 2021 तक की अवधि के लिए वैध है।

3.6.2 भंडारण प्रभार (दर प्रतिदिन अथवा उसका भाग)

विवरण	20' तक लंबाई के कंटेनर (रु.)	20' से अधिक लेकिन 40' तक लंबाई के कंटेनर (रु.)	40' से अधिक लंबाई के कंटेनर (रु.)
प्रथम 30 दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
31वें दिन से 45वें दिन तक	50	100	150
46वें दिन से 60वें दिन तक	100	200	300
60 दिनों के बाद	200	400	600

टी. एस. बालासुब्रमनियन सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा. /96/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 24th May, 2021

No. TAMP/10/2021-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Chennai Port Trust (CHPT) for fixation of charges for handling containers at Empty Container Parking Yard inside the Port, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/10/2021-CHPT

The Chennai Port Trust

- - -

Applicant**QUORUM**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 13th day of May, 2021)

This case relates to a proposal received from Chennai Port Trust (CHPT) for fixation of charges for handling containers at Empty Container Parking Yard inside the Port.

2. Based on the proposal filed by CHPT, this Authority vide its Order No. TAMP/30/2019-CHPT dated 10 October 2019 had approved General Revision of Scale of Rates of CHPT. The revised Scale of Rates along with Performance Standards approved by this Authority was notified vide Gazette No. 376 dated 30 October 2019. Subsequently speaking Order on the subject proposal was notified on 4 December 2019 vide Gazette No.447.

3.1. Now, the CHPT vide its letter dated 16 January 2021 has proposed charges for handling containers at Empty Container Parking Yard inside CHPT. The main submissions made by CHPT in its proposal are given below:

- (i) At CHPT, Containers are being handled by the two licensed private terminal operators viz. Chennai Container Terminal Private limited (CCTPL) & Chennai International Terminals Private Limited (CITPL). During the meetings held with the terminal operators, and shipping lines to brain storm on measures to improve cargo / container traffic through Chennai Port, one of the suggestions was to provide empty container yard inside the Port area, in order to avoid delay in bringing the containers from outside the Port and connect to their vessels in time.
- (ii) A proposal was submitted to the Board to operate Empty Container Yard (ECY) inside Chennai Port. The Board vide B.R.No.128 dated 29.03.2019 has resolved to approve the following:
 - (a) Start an Empty Container Yard by appointing a yard operator through a Special Limited Tender,
 - (b) Collect charges from customers based on preliminary calculations to cover port expenses and the operator's charges provisionally pending approval of TAMP, and
 - (c) Send a proposal to TAMP for notification of the rates.
- (iii) Accordingly, a Special Limited Tender (SLT) was floated for appointing a contractor with the following scope of work:
 - Operation of empty container yard at South of Gate No.10 near Basic training Centre Godown in an area of about 4,000 sq.m inside Chennai Port Trust.
 - Lift-On, Lift-Off, Transportation and Survey of empty containers and
 - Repairing of empty containers
- (iv) After tendering process, a work order dated 31.01.2020, was issued to the successful bidder, M/s.Sanmuga Transport Pvt. Ltd. for operating ECY initially for a period of 6 months from the date of commencement of services and subject to extension for a further period of 6 months at the quoted rate of ₹.612/- per TEU. Subsequently, the contract was extended upto 19.02.2021, vide order dated 7.8.2020.
- (v)
 - (a) As per clause 5.7.1 of the TAMP Working Guidelines 2018, whenever a specific tariff for a service / cargo is not available in the SOR, of that particular Port, the concerned Major Port Trust can approach TAMP for notification of tariff for the said new cargo / equipment / service adopting the tariff and performance standards, if any fixed for comparable cargo equipment / service in any other Major Port Trust.
 - (b) If there is no rate available in any other Major Port Trust or if the rate available is not representative enough of the proposed new cargo / service / facility, then the port may file the proposal for notification of tariff for the said new cargo / equipment / service with reference to optimal capacity assessed following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service / facility / equipment. If determination of tariff based on the above prescribed options is not possible then the Major Port Trusts after giving sufficient reasons may propose rates based on Cost plus 16% return formula.
 - (c) In this connection, it is stated that since Empty Container Yard is a standalone facility, the norms fixed in Upfront Tariff Guidelines 2008 in respect of Terminals for assessing optimal capacity, operating cost etc. are not found relevant. Hence, as approved by the Board, the charges to be collected by CHPT from the users for handling empty container at ECY were arrived based on the charges payable to the contractor and to cover port expenses. At the initial stage, it is expected that around 2500 TEUs per month can be handled in the land area of 4000 sq.m. Therefore, the handling charge has been calculated considering a volume of 2500 TEUs per month which works out to ₹.837.76 per TEU.
- (vi) The working showing calculation of charges for handling Empty Containers at ECY as given by CHPT is as follows:

Sl. No.	Description	Expenses for handling 2500 containers in a month (₹.)	Expenses for handling one TEU (₹.)
A.	Port Expenses :		
1.	Land Lease charges for Open Space Paved of 4000 sq.m. as per SOR (₹.13385 per 100 sq.m.)	535400	214.16
2.	Night Weightage Allowance		
	(Basic Pay – ₹.79000/- + DA ₹.11850/- 180 *31)	15655	6.26
3.	Holiday Wages	13365	5.34
	(Basic Pay – ₹.79000/- + DA ₹.11850/- + HRA ₹.23,700)		
	Holiday wage per day – ₹.3,819/-		
	Holiday wage for 3 shifts = ₹.11,457/--		
	No. of Holidays from 01.01.2020 to 30.06.2020 – 7 days		
	Total holiday wages for 7 days = ₹.80,199/-		
	Holiday wages per month = ₹.13,366/-		
	Total Port Expenses		225.76
B	Charges payable to the Contractor		612.00
	Total charges to be collected from the user per TEU (A+B)		837.76

Calculations for No. of containers to be handled at ECY	
Area occupied by one container (6.09 m x 2.44 m)	14.86 sq. m.
No. of containers that can be stored in 4000 sq.m.	269 TEUs
No. of containers that can be stored, after considering space for movement of cranes, vehicles.	160 TEUs
Average Dwell time	6 days
Turnaround time in a month	5
Stock height	3
Containers that can be handled in one month	2500 TEUs

- (vii) Further, a free period of 30 days and storage charges of ₹.50/- per TEU per day and repairing charges at actual is proposed to be levied at Empty Container Yard.
- (viii) The charges were approved by Chairman and a Trade Notice dated 15.2.2020 was issued. Subsequently, Board vide B.R.No.12 dated 25.6.2020 has ratified the above charges for handling Empty containers at Empty Container Yard and also to send a proposal to TAMP for approval.
- (ix) As per clause 5.7.4 of TAMP Working Guidelines 2018, the adhoc rate to be operated and the Performance standards to be applied in the interim period must be based on the approach outlined in clause 5.7.1 of the Working Guidelines and it must be in consultation with the concerned users. Accordingly, consent letter dated 5.11.2020 received from the user, M/s. Interasia Shipping Lines India Pvt. Ltd. is furnished.

3.2. The CHPT has made available the Board approval as well as the Trade notice issued by it.

3.3. In view of the above, the CHPT has proposed to include the charges for handling Empty container at ECY as a new schedule 3.6 under section 3 – Cargo Related charges. The relevant portion of the SOR is as under:

“3.6 Charges for handling empty containers at Empty Container Yard

3.6.1 Handling Charges

Sl.No.	Description of Container	Unit	Charges (in ₹.)
1.	Empty Containers of length upto 20 feet	Each	837.76
2.	Empty Containers of length above 20 feet and upto 40 feet	Each	1256.64
3.	Empty Containers of length above 40 feet	Each	1675.52

Notes:

1. The above charges are for Lift-On, Lift-Off, Transportation & Survey of empty containers.
2. Repairing of empty containers will be as per the requirement of the lines and shall be charged on actual basis.

3.6.2 Storage Charges (Rate per day or part thereof)

Description	Containers of length up to 20' (in Rupees)	Containers of length above 20' but upto 40' (in Rupees)	Containers of length above 40' (in Rupees)
First 30 days	Free	Free	Free
From 31 st day to 45 th day	50	100	150
From 46 th day to 60 th day	100	200	300
Beyond 60 days	200	400	600

4. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the CHPT proposal was forwarded to the concerned users/ user organizations vide letter dated 21 January 2021 seeking their comments. None of the users / user organisations have furnished their comments, till the case was finalized.

5.1. On an initial scrutiny of the proposal of CHPT, it was seen that some information/ clarification are required from CHPT. Accordingly, additional information/ clarification was sought from CHPT vide letter dated 17 February 2021. This was followed by a remainder dated 24 March 2021. The CHPT vide its letter dated 13 April 2021 has responded. The information/ clarification sought and the response of CHPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarification sought	Response of CHPT
(i)	The proposal for fixation of charges for handling containers at Empty Container Parking Yard inside the Port was approved by the Board vide its Resolution dated 29.3.2019 and a Contractor was engaged sometime in January 2020 and the Port had issued a Trade Notice in February 2020 itself. In this regard, the CHPT to explain the reason for submission of proposal to TAMP for approval of rates only in January 2021.	The proposal to start Empty Container yard inside CHPT premises was a new concept, which emerged during brain storming sessions with port users / terminals. Hence, as recorded in B.R. dated 29.3.2020, it was proposed to start ECY on trial basis for 6 months initially. In pursuance to the B.R. dated 29.03.2019, a Special Limited Tender (SLT) was issued on 04.06.2019. The said SLT was discharged since the rate submitted by the L1 bidder was high. Subsequently, the SLT was re-invited on 04.11.2019 and the work order was issued to M/s.Sanmuga Transport Pvt. Ltd., the lowest bidder for operating Empty Container Yard in an area of about 4000 Sq. m. initially for a period of six months from 20.2.2020 to 19.8.2020. Trade notice was issued on 15.02.2020. Thereafter, storage charges were revised and a Trade notice was issued on 04.06.2020. The Board vide BR No.12 dated 25.06.2020 had ratified the charges. As per clause 5.7.4 of the TAMP Working Guidelines 2018, consent letter from the users is to be obtained. Due to Covid-19 Pandemic lockdown no user had used

		the Empty container yard and thereby the consent of the user could not be obtained. The contract was further extended for a period of six months w.e.f 20.08.2020 to 19.02.2021 and the consent letter from one user Ms./Interasia Shipping Lines India Pvt. Ltd. was received only on 05.11.2020 and thereafter, proposal was sent to TAMP.
(ii)	With regard to the Working Statement attached by CHPT in support of the proposed charges for handling Empty Containers at ECY, the CHPT to clarify/ furnish the following:	
(a)	The land lease charges for open space has been considered as of January 2020. The land lease charges may require updation as of January 2021.	It is stated that no empty containers have been handled at the Empty container yard during January 2021 & February 2021. Further, the contract has expired on 19.2.2021. Hence, updation of land lease charges may not be necessary.
(b)	(i) The night weightage allowance and holiday allowance has been considered as of January 2020. The same may require updation as of January 2021. (ii) Also, documentary evidence in support of the updated night weightage allowance and holiday allowance to be furnished. (iii) It is seen that the number of days considered in the calculation of the Holiday wages is 30 days whereas in the Night weightage allowance, the number of days is considered as 31 days. The reason for the difference to be explained.	For the reasons stated in reply to para 2 (ii)(a) above, updation of night weight allowance may not be necessary. During the period 01.01.2020 to 30.06.2020, the Outdoor operational staff were eligible for seven Board holidays and hence on an average 30 days are considered for holiday wages. However, since calculation of Night Weightage allowance was made based on January 2020, 31 days has been considered.
(c)	The CHPT in its proposal has indicated that it has engaged a Contractor to operate the empty container yard and that the contractor has quoted rate of ₹ 612/- per TEU. The contract is reported to be valid upto 19 February 2021, as of now. In this regard, the CHPT to clarify/ furnish the following:	
	(i) A copy of the Contract to be made available to us for records. (ii) Given that the contract is valid upto only 19 February 2021, the relevance of considering the rate of ₹ 612/- per TEU as per the existing contract, in the workings, to be explained. (iii) The rate of ₹ 612/- per TEU may require updation based on the new/ renewed contract to be entered by CHPT with the contractor.	[The CHPT has furnished a copy each of the Work order dated 31.01.2020 and extension order dated 07.08.2020 issued to M/s. Sanmuga Transport Pvt. Ltd., as Annexure-(a) & (b) respectively.] As approved by the Board vide B.R. dated 29.3.2019, the charges for handling containers at ECY were arrived considering the charges quoted by the bidder (Rs.612/- per TEU) and the Port expenses (Rs.225.76 per TEU) for operation of the yard on trial basis. The contract was extended for further period of six months upto 19.2.2021 at the same rate. Since the contract is not extended beyond 19.2.2021, updation of the rate may not be necessary. TAMP is requested to regularise the proposed rates only for the period from 20.2.2020 to 19.2.2021.

(d)	Out of the area of 4000 sq.m earmarked for Empty container Yard, the CHPT has considered storage of only 160 containers, after considering about 40% of the total area to be used for movement of cranes and vehicles. The basis for considering about 40% area for movement of cranes and vehicles to be explained.	As stated earlier, based on the concept emerged during meetings with the terminal operators and shipping lines, it was proposed to start Empty Container Yard on a trial basis for 6 months. Hence, a volume of 2500 TEUs per month was arrived approximately based on space required for each container, space required for movement of cranes, vehicles, etc., dwell time of 6 days and stack height of 3. The working for calculation of the volume of 2500 TEUs was furnished as Annexure-II of the proposal
(e)	The basis for considering average dwell time of 6 days to be explained.	
(f)	The basis for considering stack height of 3 to be explained	
(g)	The period from which approval is sought by CHPT for this subject proposal also to be indicated.	TAMP is requested to regularise the proposed charges for operation of ECY from 20.02.2020 to 19.02.2021 only.
(iii)	The proposal of CHPT is for prescribing charges for handling containers at Empty Container Yard. In this backdrop, the CHPT to explain / furnish the following:	
(a)	The reason for proposing charges for storage of containers at Empty Container Yard.	This facility of operating an empty container yard in Chennai Port is a new one and there is every possibility of the Users to use the yard as a storage space. Hence, it was proposed to charge storage charges.
(b)	The basis and workings in support of the proposed storage charges.	In order to attract the Trade, it was proposed to allow 30 days free time and beyond 30 days a minimum of Rs.50/- per 20' container per day has been proposed. The storage charges for 40' and above 40' containers has been calculated adopting the ratio of 1.5 times and 2 times, as prescribed in Clause 9.5 of the TAMP Working Guidelines, 2018.

5.2. Vide the said letter dated 13 April 2021, the CHPT has also submitted that the contract for operation of Empty Container Yard has expired on 19.2.2021. Hence, the Port has sought approval / regularization of the charges for operation of Empty Container Yard for the period from 20.2.2020 to 19.2.2021. The Port has conveyed that once the Yard operation is revived, separate proposal will be sent by CHPT to TAMP for approval.

6. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing on the case in reference was held on 18 February 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, the CHPT and the users/ user organisations have made their submissions.

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to them. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

8. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i) Based on the request made by the trade to provide Empty Container Yard (ECY) inside the Port area, so as to avoid delay in bringing the containers from outside the Port and connect to their vessels in time, the Chennai Port Trust (CHPT) has identified an ECY admeasuring about 4,000 sq.m inside the Port. In this context, the CHPT has appointed a yard operator (through Special Limited Tender) to provide container handling services viz. Lift-On, Lift-Off, Transportation and Survey of empty containers and Repairing of empty containers, with effect from 20 February 2020. The Work Order which was initially for a period of 6 months, was thereafter extended for another 6 months period upto 19 February 2021. Thus, the proposal of the port is to regularise the rates levied

by the port for the services rendered at the ECY during the period from 20 February 2020 to 19 February 2021.

- (ii) Clause 5.7.1 of the working guidelines for determination of Tariff for Major Ports, 2018 (Working Guidelines 2015) read with the Clause 8.2 of the Tariff Policy 2018, stipulates that, whenever a specific tariff for a service/ cargo is not available in the SOR, of that particular port, the concerned Major Port Trust can approach TAMP for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service adopting the tariff and performance standards if any fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any other Major Port Trust. If there is no rate available in any other Major Port Trust or if the rate available is not representative enough of the proposed new cargo/ service/ facility, then the port may file the proposal for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service with reference to optimal capacity assessed following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service/ facility/ equipment. If determination of tariff based on the above prescribed options is not possible, then the Major Port Trusts after giving sufficient reasons may propose rates based on Cost plus 16% return formula. Since the ECY at CHPT is a standalone facility and the norms prescribed in 2008 Guidelines for assessing optimal capacity, operating expenses etc., are not relevant, the CHPT has arrived at the tariff based on the charges payable to the contractor and to cover port expenses. The proposal of the CHPT has the approval of its Board of Trustees.
- (iii) The CHPT has proposed a handling rate of ₹837.76/- per empty container upto 20 feet, by taking into account the charges payable to the Contractor appointed by CHPT for carrying out the Lift-On, Lift-Off, Transportation and Survey of empty containers at the ECY at ₹ 612/- per 20' container and to recover the costs relating to lease rent of the land (as per SOR of the CHPT) allotted for ECY and the expenses incurred by the port towards various types of manpower aggregating to ₹ 225.76 per 20' container. Each of the cost component considered by the CHPT to arrive at the proposed rate is discussed in the subsequent paragraphs.

(iv) **Capacity of the Facility:**

The ECY at CHPT is reported to cover an area of 4,000 sq. mtrs. Given that a twenty feet container occupies an area of 14.86 sq.m (6.09 mtrs. X 2.44 mtrs) and taking into account 60% of space as available for stacking of containers and the remaining 40% of area is required for movement of cranes and vehicles, the number of containers that can be in the empty container yard has been arrived by the CHPT and further considering a stacking factor of 3, the CHPT has arrived at the capacity of the facility at 485 TEUs (4000 sq. mtrs x 60% ÷ 14.86 sq. mtrs x 3 stack height = 484.52 or say 485 TEUs). Thereafter, considering 30 days in a month and average dwell time of 6 days, the turn round time of each container is worked out at 5 turns (30 days / 6 days = 5 turns). Thus, the CHPT has determined that about 2500 TEUs (485 TEU x 5 turns = 2425 TEUs or say 2500 TEUs) can be accommodated in the empty container yard in a month. This, has been considered to be the capacity of ECY per month. The judgment of the port in this regard is relied upon.

(v) **Operation Cost :**

- (a) The CHPT has considered an amount of ₹.5.35 lakhs per month towards land lease charges considering the lease charges of ₹.13,385 per 100 sq. mtrs per month as per the prevailing approved Estate SOR for the total area of 4000 sq. mtrs. (4000 sqm. x ₹.13385 per 100 sqm. p.m / 100 = ₹. 535400 per month).
- (b) The Night Weightage allowance has been estimated at ₹. 0.16 lakhs per month. The CHPT has reported that the Night Weightage allowance has been determined considering deployment of one "Assistant Superintendent" at the ECY as per the existing practice of working. The judgment of the port in this regard is relied upon.
- (c) Holiday wages has also been taken into account considering deployment of one "Assistant Superintendent" at the ECY by taking into account the average monthly emoluments viz. Basic pay, Dearness allowance and House Rent allowance for 3 shifts in a day and taking into account the number of holidays occurred during the period from January 2020 to June 2020. Accordingly, Holiday wages has been determined at ₹. 0.14 lakhs per month. The judgment of the port in this regard is relied upon.

- (d) Accordingly, the total Port expenses has been arrived by the CHPT at ₹.5.64 lakhs per month. This works out to a rate of ₹.225.76 per TEU for an estimated capacity of 2500 TEUs per month.
- (e) In addition to the above expenses, the Port has also considered the charges @ ₹. 612 per TEU payable to the operator.
- (vi) The rate of ₹ 612/- per 20' container payable by the port to the Contractor is a market determined rate. As regards the port expenses of ₹ 225.76 per 20' Container, which has been captured by the port in the proposed rate, the CHPT has furnished detailed working in support of the proposed rate.

In view of the above and given that none of the users have objected to the levy of the charges at ECY and taking into account the approval of the Board of Trustees, the proposal of the port to regularise the rate of ₹ 837.76 per 20' container as levied by the port for the services rendered at the ECY during the period from 20 February 2020 to 19 February 2021, is approved.

- (vii) Further, the port has proposed handling charges for a 40' container at 1.5 times the rate of normal container at ₹ 1256.64 (₹ 837.76 x 1.5 times) and the rate for a Container above 40' has been prescribed by the port at 2 times the rate of normal container at ₹ 1675.52 (₹ 837.76 x 2 times). The proposed handling charges are seen to be in line with Clause 9.5 of the Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018 for determination of tariff for Major Port Trusts. Thus, this Authority is inclined to approve the handling charges as proposed by the Port for 40' containers and above 40' containers.
- (viii) Further, on the ground that the ECY being a new facility, there is every possibility of the yard being used as a storage space, the port has proposed storage charge of ₹50/- per TEU per day beyond 30 days free period. A slab wise Storage Charges is proposed to be levied by the port from the users.

As per Clause 8.6 of the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Policy, 2018, the individual ports have liberty to prescribe the number of free days. Hence, the number of 30 days free period is approved.

The CHPT has not furnished any basis/ working for arriving the proposed storage charges. Nevertheless, since there are no objections from any of the users/ user organisation on the proposed storage charges and keeping in view the flexibility available to the port to determine the rates based on the market forces and commercial judgment of the port and also considering that the CHPT Board has approved the proposed storage charges, this Authority is inclined to approve the storage charges as proposed by the Port.

The storage charges for 40' and above 40' containers has been calculated adopting the ratio of 2 times and 3 times respectively, as prescribed in Clause 9.5 of the TAMP Working Guidelines, 2018.

- (ix) The CHPT has proposed a note to the effect that the prescribed handling charges are for Lift-On, Lift-Off, Transportation and Survey of empty containers. Since the proposed note gives clarity on the scope of services covered under the handling charges and is seen to be in line with the scope of the work given to the operator of ECY, as reported by the CHPT, the proposed note is approved.
- (x) The CHPT has also proposed a note to the effect that repairing of empty containers will be as per the requirement of the lines and shall be charged on actual basis. Since the proposed note gives clarity and avoids ambiguity, the proposed note is approved.
- (xi) The CHPT has not quantified the additional revenue generated from the operation of ECY. From the cost particulars given by CHPT, it is seen that the rates proposed by the port is to generally enable the port to recover the expenses incurred by the port and the charges to be payable to the Operator. In view of the above, it may not be incorrect to presume that not very significant amount of additional revenue would have been generated by the port during the period of operation of ECY. It is noteworthy that during the last general revision of tariff of CHPT in October 2019, there was a revenue gap to the tune of ₹.30.32 crores, which has been left uncovered by the Port, then. Thus, any additional revenue due to this faster turnaround time of containers arising out of the levy of rates approved at ECY, would get subsumed in the revenue gap.

- (xii) Levy of any charges by the Port which are covered by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, requires approval of this Authority. From the submissions made by CHPT, it is noticed that the CHPT has commissioned the services of ECY with effect from 20 February 2020 much prior to filing its proposal on 16 January 2021. The Contract has also reported to have expired by 19 February 2021. Thus, the CHPT has sought approval to the proposed incorporation of rates in its Scale of Rates with effect from 20 January 2020 to 19 February 2021, thereby presenting a *fait accompli* situation to this Authority. It is not unreasonable to expect a port to take advance action for introduction of any new rates instead of presenting *fait accompli* situation before this Authority. It is noteworthy that the working guidelines provide for filing of the proposal for notification of rate for use of a new facility or a new service and levy of proposed rates on adhoc manner simultaneously.
- (xiii) Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. In exceptional cases, retrospective effect is given for reasons to be recorded. In the case in reference, the proposal of the port is to regularise the rates levied by the port for the services rendered at the ECY during the period from 20 February 2020 to 19 February 2021. For the reasons as brought out in the earlier paragraphs, this Authority is inclined to accord approval for levy of the proposed charges during the period from 20 February 2020 to 19 February 2021.

9. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind, approval is accorded for levy of following charges by the CHPT at ECY during the period from 20 February 2020 to 19 February 2021:

“3.6 Charges for handling empty containers at Empty Container Yard

3.6.1 Handling Charges

Sl. No.	Description of Container	Unit	Charges (in ₹.)
1.	Empty Containers of length upto 20 feet	Each	837.76
2.	Empty Containers of length above 20 feet and upto 40 feet	Each	1256.64
3.	Empty Containers of length above 40 feet	Each	1675.52

Notes:

1. The above charges are for Lift-On, Lift-Off, Transportation & Survey of empty containers.
2. Repairing of empty containers will be as per the requirement of the lines and shall be charged on actual basis.
3. The schedule 3.6 is valid for the period from 20 February 2020 to 19 February 2021.

3.6.2 Storage Charges (Rate per day or part thereof)

Description	Containers of length up to 20' (₹.)	Containers of length above 20' but upto 40' (₹.)	Containers of length above 40' (₹.)
First 30 days	Free	Free	Free
From 31 st day to 45 th day	50	100	150
From 46 th day to 60 th day	100	200	300
Beyond 60 days	200	400	600

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Ext.y./96/2021-22]